आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा 2008(2)

समक्ष हेमंत गुप्ता और मोहिंदर पाल माननीय न्यायमूर्ति

शशि कांत -याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,- उत्तरदाताओं

C.W.P.No. 11218 / 2005.

31 जनवरी, 2008

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-हरियाणा संबद्ध कॉलेज (सेवा की सुरक्षा) नियम, 1993-नियम। 6 और 7-प्रत्यर्थी नं. 5 बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में लेक्चरर के पद के लिए-उत्तरदाता के पास नेट योग्यता की अनिवार्य शर्त नहीं है- विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित योग्यताओं को पूरा करने वाला याचिकाकर्ता-क्या गैर-सहायता प्राप्त या गैर-मंजूरी प्राप्त पद के खिलाफ रिट याचिका बनाए रखने योग्य है-आयोजित, हाँ-हालांकि पद गैर-मंजूरी प्राप्त, गैर-सहायता प्राप्त हो सकता है लेकिन फिर भी संस्थान विश्वविद्यालय से संबद्ध है- उत्तरदाता विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए संबद्धता नियमों के अनुसार शिक्षा के मानकों को बनाए रखने के लिए बाध्य हैं- संस्थान की कार्रवाई को उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से परे नहीं कहा जा सकता है-याचिका की अनुमति दी गई, चयन समिति की सिफारिश को दरकिनार कर दिया गया।

अभिनिर्धारित किया गया कि भले ही पद गैर-स्वीकृत, गैर-सहायता प्राप्त हो लेकिन फिर भी प्रत्यर्थी संस्थान विश्वविद्यालय से संबद्ध है। उत्तरदाता विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए संबद्धता नियमों के अनुसार शिक्षा के मानकों को बनाए रखने के लिए बाध्य हैं। चूँकि प्रत्यर्थी संस्थान को विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए संबद्धता नियमों के संदर्भ में शिक्षा के न्यूनतम मानक को बनाए रखना है, इसलिए शिक्षण संकाय की नियुक्ति के मामले में संस्थान की कार्रवाई को न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से परे नहीं कहा जा सकता है। (Para 10)

याचिकाकर्ता के वकील रमेश हुड्डा।

ओ. पी. शर्मा, अतिरिक्त महाधिवक्ता, हरियाणा।

डॉ. बलराम गुप्ता, पंकज शर्मा के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रतिवादी नं. 2.

दीपक सिब्बल, प्रत्यर्थियों के वकील नं। 3 और 4.

न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता,

(1) वर्तमान रिट याचिका में चुनौती प्रतिवादी संख्या 4 संस्थान में बीबीए पाठ्यक्रम के लिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विषय में व्याख्याता के पद पर प्रतिवादी संख्या 5 के चयन और नियुक्ति को है।

(2) यह याचिकाकर्ता का मामला है कि सोनीपत हिंदू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल सोसाइटी, सोनीपत, एक पंजीकृत सोसायटी है जो विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों को चलाती है जो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक (इसके बाद इसे "विश्वविद्यालय" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) से संबद्ध हैं। सभी संस्थान सरकार से 95% सहायता प्राप्त कर रहे हैं और विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं। संस्थान के कर्मचारियों की सेवा शर्तें वैधानिक नियमों द्वारा विनियमित होती हैं और इसलिए, इस न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी होती हैं। यह भी बताया गया है कि प्रत्यर्थी संस्थान के कर्मचारियों की सेवा शर्तों को हरियाणा संबद्ध कॉलेज (सेवा की सुरक्षा) नियम, 1993 (इसके बाद "नियम" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) द्वारा विनियमित किया जाता है। उपरोक्त नियमों के नियम 6 के अनुसार, सेवा में पद के लिए योग्यता विश्वविद्यालय द्वारा निर्दिष्ट की गई है। नियम 7 के अनुसार, सेवा में भर्ती एक चयन समिति द्वारा की जाती है जिसमें प्रबंध समिति के अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष; कुलपति का नामित और उच्च शिक्षा निदेशक, हरियाणा का प्रतिनिधि शामिल होता है।

(3) यह इंगित किया गया है कि याचिकाकर्ता ने वर्ष 2003 में लगभग 63% अंक प्राप्त करते हुए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री उत्तीर्ण की है और दिसंबर, 2003 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (इसके बाद "यूजीसी" के रूप में संदर्भित) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शैक्षिक परीक्षा (इसके बाद "नेट" के रूप में संदर्भित) भी उत्तीर्ण की है। इस प्रकार, यह तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ता विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित व्याख्याता के पद के लिए योग्यता को पूरा करता है।

(4) संस्थान में बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स के लिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में लेक्चरर के पद के संबंध में एक विज्ञापन जारी किया गया था। याचिकाकर्ता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय के शिक्षण कर्मचारियों और इससे संबद्ध संस्थानों में नियुक्त किए जाने के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यक योग्यता) विनियम, 1991 में निर्धारित योग्यताओं के संदर्भ में पात्र था। नेट उत्तीर्ण करने की शर्त अनिवार्य है लेकिन फिर भी प्रतिवादी क्रमांक 5 जिसके पास नेट की योग्यता नहीं है, उसका चयन कर व्याख्याता पद पर नियुक्ति दे दी गई है। यह तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी संख्या 5 व्याख्याता के पद के लिए पात्र नहीं है क्योंकि उसके पास नेट उत्तीर्ण करने की अनिवार्य शर्त नहीं है।।

(5) विश्वविद्यालय ने अपने उत्तर में कहा कि एक निजी कॉलेज में एक शिक्षक की नियुक्ति एक चयन समिति की नियुक्ति के माध्यम से की जा सकती है और यह केवल संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृति/अनुमोदन पर प्रभावी है। यह बताया गया कि विश्वविद्यालय के कुलपति ने विषय विशेषज्ञ को नामित नहीं किया है और न ही प्रतिवादी नं। 5 को भी मंजूरी दी गई थी।

(6) उत्तरदाताओं की ओर से उत्तर में संख्या 3 और 4, यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता को उपयुक्त नहीं पाया गया था और इसलिए, उसे किसी नियुक्ति की पेशकश नहीं की गई थी। यह इंगित किया गया है कि प्रतिवादी नं। 5 को अतिथि व्याख्याता के रूप में नियमित नियुक्ति होने तक बीबीए की कक्षाओं को पढ़ाना जारी रखने की अनुमति दी गई थी। यह भी बताया गया है कि बीबीए पाठ्यक्रम स्व-वित्तपोषण योजना के तहत आयोजित किया जा रहा है और इसके लिए सरकार या यूजीसी द्वारा इस पाठ्यक्रम को चलाने के लिए कोई अनुदान नहीं दिया जाता है। इस प्रकार, इस पाठ्यक्रम के तहत, याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका बनाए रखने योग्य नहीं है।

(7) इस न्यायालय ने 16 नवंबर, 2006 को उच्च शिक्षा महानिदेशक, हरियाणा को विज्ञापन और चयन के तरीके और उस पद की जांच करने का निर्देश दिया, जिसे भरने की मांग की गई थी। प्रथम दृष्टया, एक सहायता प्राप्त पद प्रतीत होता है। उक्त निर्देश के संदर्भ में, उच्च शिक्षा महानिदेशक की 3 जनवरी, 2007 की रिपोर्ट को रिकॉर्ड में रखा गया है। यह पाया गया है कि जिस पद को गैर-सहायता प्राप्त और गैर-स्वीकृत पद में भरने की मांग की गई थी और याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को चयन समिति द्वारा उपयुक्त नहीं पाया गया था, हालांकि वह नेट योग्य था। यह भी पाया गया है कि हिंदू कॉलेज, सोनीपत ने प्रतिवादी नं. 5 व्यवसाय प्रशासन में व्याख्याता के पद पर नियुक्ति के लिए यू. जी. सी. को न्यूनतम योग्यता में छूट और शिक्षा विभाग के मनोनीत व्यक्ति या विश्वविद्यालय के कुलपति को चयन समिति का हिस्सा होने की आवश्यकता नहीं थी। यह भी बताया गया है कि स्व-वित्तपोषण योजना के तहत चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों को पढ़ाने के लिए नियुक्ति संकाय के लिए बुनियादी न्यूनतम योग्यता नेट है।

(8) रिपोर्ट के साथ, उच्च शिक्षा महानिदेशक ने साक्षात्कार में उपस्थित उपस्थिति पत्रक का रिकॉर्ड संलग्न किया है, अनुलग्नक पी-3। उक्त अनुलग्नक में मैट्रिक, बारहवीं, डिग्री और M.B.A में उम्मीदवारों के अंक शामिल हैं। इसमें यह कॉलम भी है कि क्या उम्मीदवार नेट योग्य है। चयन समिति के कार्यवृत्त को अनुलग्नक पी-4 के रूप में जोड़ा गया है जिसमें प्रत्यर्थी नं. 5 चयन समिति द्वारा एक नोट के साथ सिफारिश की गई है कि उसका मामला "नेट योग्य व्यक्तियों की अनुपलब्धता के कारण" अनुमोदन के लिए एमडीयू विश्वविद्यालय के माध्यम से यूजीसी को भेजा जाए। (9) उत्तरदाताओं के लिए सीखा वकील नं। 3 और 4 ने जोरदार तर्क दिया कि गैर-सहायता प्राप्त या गैर-स्वीकृत पद के खिलाफ रिट याचिका बनाए रखने योग्य नहीं है। यह भी तर्क दिया जाता है कि, किसी भी मामले में, याचिकाकर्ता के पास ट्रिब्यूनल i.e., संबंधित जिले के विद्वान जिला न्यायाधीश से संपर्क करने का प्रभावी वैकल्पिक उपाय है, जिनके पास इसके खिलाफ सहायता प्राप्त/गैर-सहायता प्राप्त तकनीकी संस्थानों के कर्मचारियों की

अपील सुनने की शक्तियां हैं। टी. एम. ए. पी. ए. आई. फाउंडेशन और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में प्रबंधन के निर्णय[1].

(10) पक्षकारों के विद्वान वकील को कुछ समय तक सुनने के बाद, हमारी राय है कि भले ही पद गैर-स्वीकृत, गैर-सहायता प्राप्त हो, लेकिन फिर भी प्रतिवादी संस्थान विश्वविद्यालय से संबद्ध है। उत्तरदाता विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए संबद्धता नियमों के अनुसार शिक्षा के मानकों को बनाए रखने के लिए बाध्य हैं। चूँकि प्रत्यर्थी संस्थान को विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए संबद्धता नियमों के संदर्भ में शिक्षा के न्यूनतम मानक को बनाए रखना है, इसलिए शिक्षण संकाय की नियुक्ति के मामले में संस्थान की कार्रवाई को इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से परे नहीं कहा जा सकता है।

(11) ज़ी टेलीफिल्म्स लिमिटेड बनाम भारत संघ,[2] में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि जब कोई निजी निकाय अपने सार्वजनिक कार्यों का प्रयोग करता है, भले ही वह एक राज्य न हो, तो व्यथित व्यक्ति के पास न केवल सामान्य कानून के तहत बल्कि संविधान के तहत भी अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका के माध्यम से उपचार है। आंडी मुक्त सद्गुरु श्री मुक्ताजी वंदास स्वामी सुवर्ण जयंती महोत्सव स्मारक न्यास बनाम वी. आर. रुदानी पर भरोसा करते हुए, [3] न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि इसलिए अनुच्छेद 226 में प्रयुक्त 'कोई व्यक्ति या प्राधिकारी' शब्द केवल राज्य के वैधानिक प्राधिकारियों और साधनों तक ही सीमित नहीं हैं। वे सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करने वाले किसी अन्य व्यक्ति या निकाय को शामिल कर सकते हैं। संबंधित शरीर का रूप बहुत अधिक प्रासंगिक नहीं है। जो प्रासंगिक है वह शरीर पर लगाए गए कर्तव्य की प्रकृति है। कर्तव्य को प्रभावित पक्ष के प्रति व्यक्ति या प्राधिकरण द्वारा दिए गए सकारात्मक दायित्व के आलोक में आंका जाना चाहिए, चाहे कर्तव्य किस माध्यम से लगाया गया हो। इसी तरह का विचार मिस रवनीत कौर बनाम द क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, लुधियाना में पांच न्यायाधीशों की पीठ का है[4]. इसलिए, हमारी राय है कि उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा उठाया गया तर्क नं। 3 और 4 यह कि उक्त संस्थान में गैर-स्वीकृत, गैर-सहायता प्राप्त पद के विरुद्ध रिट याचिका विचारणीय नहीं है, मान्य नहीं है।

(12) यह तर्क कि याचिकाकर्ता के पास जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील दायर करने का वैकल्पिक उपाय है, फिर से मान्य नहीं है। माननीय माननीय उच्चतम न्यायालय ने टी. एम. ए. पी. ए. आई. के मामले (उपर्युक्त) में कर्मचारियों और शैक्षणिक संस्थानों के प्रबंधन के बीच विवादों का तेजी से निर्णय लेने के लिए राज्यों में शैक्षिक न्यायाधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया। शैक्षिक अधिकरण की स्थापना का उक्त निर्देश अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने और अनुशासन बनाए रखने के लिए संस्थानों की आवश्यकता के संदर्भ में है और जब शिक्षण संकाय के सदस्यों के खिलाफ कदाचार का आरोप लगाया

---

[1] (2002) 8 SCC 481
[2] (2005) 4 SCC 670
[3] (1999) 2 SCC 691
[4] 1997 (4) SLR 221

जाता है। (फैसले का पैरा 64 देखें)।. इस तरह के निर्देशों के अनुसरण में, इस न्यायालय ने जिला और सत्र न्यायाधीशों को सहायता प्राप्त/गैर-सहायता प्राप्त तकनीकी संस्थानों के कर्मचारियों की अपीलों को सुनने के लिए अधिकृत किया है। लेकिन इस तरह की अपीलें शैक्षणिक संस्थानों द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई से उत्पन्न हो रही हैं। टी. एम. ए. पी. ए. आई. के मामले (उपर्युक्त) के निर्देशों के संदर्भ में उक्त अधिकरण का गठन नियुक्ति से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने के लिए नहीं किया गया है।

(13) अन्यथा भी, इस न्यायालय की अधिकारिता, उपलब्ध वैकल्पिक उपचार की स्थिति में, विवेकाधिकार का नियम है। यह समीचीन है कि यदि वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है, तो पीड़ित व्यक्ति द्वारा इसका लाभ उठाया जाना चाहिए। गलत कार्रवाई के खिलाफ रिट याचिका पर विचार करने के लिए इस न्यायालय का अधिकार क्षेत्र वर्जित नहीं है।

(14) इस न्यायालय ने पहले उच्च शिक्षा महानिदेशक को एक रिपोर्ट देने का आदेश दिया था। अभिलेख पर तथ्य विवादित नहीं हैं। हालाँकि याचिकाकर्ता नेट योग्य और उपलब्ध है, फिर भी चयन समिति ने बताया है कि नेट योग्य व्यक्ति में से कोई भी उपलब्ध नहीं था। चयन समिति की उक्त सिफारिश रिकॉर्ड के बिल्कुल विपरीत है। इस प्रकार, हम उत्तरदाता नं. की कार्रवाई करने में असमर्थ हैं। 3 और 4 प्रत्यर्थी सं. 5 बीबीए पाठ्यक्रम के लिए निष्पक्ष या उचित के रूप में व्यवसाय प्रशासन में व्याख्याता के पद के लिए। वही स्पष्ट रूप से मनमाना है और सही तथ्यात्मक स्थिति को भी प्रतिबिंबित नहीं करता है। इसके अलावा, चयन समिति का रिकॉर्ड किसी भी पूर्व निर्धारित मानदंड में उम्मीदवारों को श्रेणीबद्ध करके उनकी उपयुक्तता का निर्णय करने के तरीके के रूप में नहीं दिखाता है।

(15) नतीजतन, वर्तमान रिट याचिका को अनुमति दी जाती है और चयन समिति की उक्त सिफारिश को दरकिनार कर दिया जाता है। उत्तरदाताओं नं. 3 और 4 को चयन समिति का पुनर्गठन करने और कानून के अनुसार उम्मीदवार के चयन पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ने का निर्देश दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कि सी अन्य उद्देश्य के लि ए इसका उपयोग नहीं कि या जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

पीयूष चौधरी
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
जगाधरी, हरियाणा